रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 1983/श्रावण 21, 1905
No. 354] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 1983/SRAVANA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

[विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय]

अधिसूचना

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1983

का. आ. 595(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 134(अ) तारीख 16 फरवरी, 1983 को अधिक्रांत करते हुए, 892 रुपए प्रति किलोग्राम को

उस अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर देश में विनिर्मित ट्राइमेथोप्रिम का विक्रय किया जाएगा ।

[सं. 8(4)/82-डी (2)]

ई. एन. मूर्ति, उप-सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1983

S.O. 595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 134(E), dated the 16th February, 1983, the Central Government hereby fixes Rs. 892 per kg. as the maximum sale price at which Trimethoprim manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(4)|82-D.II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983